भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1845

30.07.2021 को उत्तर के लिए

ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की बढ़ती समस्या

1845. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश के ग्रामीण क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की बढ़ती समस्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण तथा निस्तारण हेतु ग्राम पंचायत को समर्थ बनाने तथा प्रोत्साहित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, अपने आप या किसी अभिकरण को अपने नियंत्रणाधीन ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्थापना करने, संचालित और समन्वित करने और संबंद्ध कार्यों के निष्पादन हेतु अधिदेशित किया गया है; नामश:

i. पृथक्करण, एकत्रण, भंडारण, परिवहन, प्लास्टिक अपशिष्ट और पुनर्चक्रणीय प्लास्टिक अपशिष्ट के भागों को वैध पंजीकरण वाले पुन:र्चक्रणकर्ताओं को प्रमाणन; यह सुनिश्चित करना कि इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई;
ii. सभी हितधारकों के मध्य उनके उत्तरदायित्वों के विषय में जागरूकता सृजित करना; और
iii. यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में नहीं जलाया जाए।

भारत सरकार ने फरवरी, 2020 में पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा प्रशासित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का चरण-।। अनुमोदित किया है जो खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल है, को कायम रखने पर फोकस करता है। चरण-।। के तहत, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को प्रचालन से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें ग्राम स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यकलापों के लिए निधियन प्रावधान शामिल हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-।। प्रचालन से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राम स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यकलापों जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है, के लिए निधियन प्रावधान निम्नलिखित है।

ग्राम का आकार	वित्तीय सहायता
5000 तक की आबादी	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: 60 रूपये प्रति व्यक्ति
5000 से अधिक आबादी	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: 45 रूपये प्रति व्यक्ति

*****